न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या :— 12/2023

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01. रतनाराम पुत्र पन्नाराम	01.	मोटाराम पुत्र धनाराम जाति गुर्जर निवासी रायरा कलां तह0 सोजत जिला पाली राज0।
02. कानाराम पुत्र पन्नाराम	02.	तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली राज0।
03. लाबुराम पुत्र मोतीराम जातिगण गुर्जर निवासीगण रायरा कलां तह0 सोजत जिला पाली राज0		

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 133, 136 भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

01. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
02. श्री पुनीत दवे, श्री गोविंद दवे अधिवक्तागण अप्रार्थी सं0 01 उप0।
03. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

—: निर्णय :— दिनांक : 16/08/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 131, 133, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा रायरा कलां खुर्द पटवार हल्का खोडिया भू.नि.क्षे. गुड़ा बींजा तहसील सोजत जिला पाली के खसरा नंबर 459 रकबा 0.6500 है0 की कृषि भूमि आई हुई स्थित हैं। उक्त कृषि भूमि वर्तमान में अप्रार्थी सं0 01 के नाम से दर्जसुदा हैं। उक्त कृषि भूमि ख0नं0 459 के पड़ौस में ख0नं0 1294 रकबा 4.7000 है0 ग्राम पंचायत रायरा कलां की आबादी भूमि आई हुई स्थित हैं। खसरा नंबर 459 गत सेटलमेन्ट के खसरा नंबर 187 से बना है। गत खसरा नंबर 187 रकबा 03 बीघा कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के पिता धना पुत्र अनोप जाति गुर्जर के नाम की खातेदारी कब्जा काश्त की थी। उक्त कृषि भूमि से वर्तमान खसरा नंबर 459 बनाते समय सेटलमेन्ट अधिकारीयों ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाते हुए रकबा 0.4800 हैक्टर के स्थान पर रकबा 0.6500 हैक्टर दर्ज कर दिया गया तथा ग्राम पंचायत की भूमि आबादी भूमि खसरा नंबर 1294 के गत खसरा संख्या 581/1 है। गत खसरा नंबर 581/1 का रकबा 29 बीघा 10 बीस्वा आबादी भूमि थी। उक्त भूमि को कम दर्ज करते हुए खसरा नंबर 1294 का रकबा 4.7800 के स्थान पर 4.7000 हैक्टर दर्ज कर दिया गया, जो गलत दर्ज हुआ। गत सेटलमेन्ट के खसरा नंबर 187 की सीमा व गत सेटलमेन्ट के खसरा नंबर 581/1 की सीमा गत नक्शे के देखने से स्पष्ट है कि दोनो खसरो के बीच की माठ सीधी थी, जो वर्तमान नक्शा बनाते समय आबादी भूमि को सम्मिलित लेते हुए तरमीम कर दी गई, जो गलत तरमीम हुई है। सेटलमेन्ट के गत खसरा नंबर 187 का रकबा 03 बीघा यानि 0.4800 हैक्टर ही था। प्रार्थीगण के सेटलमेन्ट से पूर्व से आबादी भूमि गत खसरा नंबर 581/1 में मकानात व बाडे बने हुए थे। सेटलमेन्ट के दौरान खसरा नंबर 187 से

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

नये खसरा नंबर 459 बनाते समय आबादी भूमि का रकबा कम करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नंबर 459 में रकबा बढा देने से तरमीम गलत हुई। खसरा नंबर 459 की तरमीम आबादी भूमि में बना दी गई। जिससे प्रार्थीगण के वर्षो पुराने बने मकानात खसरा नंबर 459 की सीमा में आ गये। उक्त अप्रार्थी संख्या 1 का रकबा बढ़ जाने का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण के वर्षो पुराने बने मकानात को गिराने पर आमादा है तथा प्रार्थीगण को नाजायज तरीके से बेदखल करने पर आमदा है। यदि प्रार्थीगण के उक्त मकानात को हटाया जाता है तो प्रार्थीगण को भारी अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थीगण के मकानात जहां बने हुए है वह भूमि पूर्व से ही आबादी भूमि थी। ऐसी स्थिति में उक्त रेकर्ड दुरस्त किया जाना कानुनन आवश्यक व न्यायसंगत है तथा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का रकबा गत खसरा नंबर 581/1 रकबा 29 बीघा 10 बीस्वा के अनुसार नये खसरा नंबर 1294 का रकबा 4.7000 हैक्टर के स्थान पर 4.7800 हैक्टर किया जाना कानुनन आवश्यक है एवं पूर्व में गत सेटलमेन्ट के नक्शा के अनुसार पुनः तरमीम आबादी सीमा के अनुसार राजस्व रेकर्ड नक्शा में तरमीम किया जाना कानुनन आवश्यक है। इस प्रकार अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर सरहद मौजा रायरा कलां के खसरा नंबर 459 रकबा 0.6500 हैक्टर में से रकबा 0.0800 हैक्टर भूमि को कम करते हुए खसरा नंबर 1294 रकबा 4.7000 हैक्टर में जोडा जाकर रकबा 4.7800 हैक्टर दर्ज किया जावे एवं राजस्व रेकर्ड नक्शा में गत सेटलमेन्ट के नक्शे के अनुसार वर्तमान खसरा नंबर 459 व 1294 के बीच स्थित सीमा माठ की तरमीम दुरस्त किये जाने के आदेश पारित फरमाये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर उक्त प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 01 ने जवाब प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि खसरा नंबर 459 अप्रार्थी संख्या 01 के पिता धन्ना पुत्र अनोप के नाम की खातेदारी कब्जा काश्त की थी। लेकिन यह कहना गलत है कि उक्त कृषि भूमि से वर्तमान खसरा नंबर 459 बनाते समय सैटलमेन्ट अधिकारीयों ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाते हुए रकबा 0.4800 हैक्टर के स्थान पर रकबा 0.6500 हैक्टर दर्ज कर दिया तथा ग्राम पंचायत की भूमि खसरा नंबर 1294 के गत खसरा नंबर 581/1 को कम दर्ज करते हुए 4.7800 हैक्टर के स्थान पर 4.7000 हैक्टर दर्ज कर दिया गया वास्तविक स्थिति यह है कि खसरा नंबर 459 का कुल रकबा पूर्व में भी मौके की रेकर्ड स्थिति अनुसार रकबा 0.6500 हैक्टर था। जो कि सैटलमेन्ट अधिकारियो ने सही करते हुए 0.6500 हैक्टर किया है। गत सैटलमेन्ट के खसरा नंबर 187 की सीमा गत सैटलमेन्ट के खसरा नंबर 581/1 के नक्शे के देखने से स्पष्ट है कि दोनो खसरो के बीच की माठ सीधी थी जो वर्तमान नक्शा बनाते समय आबादी भूमि को सम्मिलित करते हुए तरमीम की गयी जो गलत तरमीम की गई है पूर्व में जो राजस्व रेकर्ड में व मौके की यथास्थिति थी। उसी के अनुरूप वर्तमान में राजस्व

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

रेकर्ड में सही इन्द्राज किया गया है। यह कहना गलत है कि प्रार्थीगण के सैटलमेन्ट से पूर्व आबादी भूमि गत खसरा नंबर 581/1 में मकानात एवं बाडे बने हुए थे जिसकी कोई जानकारी अप्रार्थीगण को नहीं है और न ही अप्रार्थीगण ने मौके पर कोई मकानात एवं बाड़े जैसे निर्माण देखे है। यह कहना भी गलत है कि सैटलमेन्ट के दौरान खसरा नंबर 187 से नये खसरा नंबर 459 बनाते समय आबादी भूमि का रकबा कम करते हुए अप्रार्थी संख्या 01 के खसंरा संख्या 459 में रकबा बढ़ा देने से तरमीम गलत हुई तथा खसरा नंबर 459 की तरमीम आबादी भूमि में कर दी गयी। वास्तविक स्थिति यह है कि प्रार्थीगण की तमाम की नियत अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि जोत की भूमि में कब्जा कर मौके पर निर्माण कार्य करने की रही है, जिस कुचौष्टा को पूरा करते हुए झूठा कपोल कल्पित यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। यह लिखना भी गलत है कि प्रार्थीगण के वर्षो पुराने बने मकानात खसरा नंबर 459 की सीमा में आ गये एवं उक्त अप्रार्थी संख्या 01 रकबा बढ़ जाने का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण के वर्षों पूर्व बने मकानात को गिराने पर आमादा है तथा प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमदा है। यह लिखना भी गलत है कि यदि प्रार्थीगण को उक्त मकान को हटाया जाता है तो प्रार्थीगण को भारी अपूर्णिय क्षति होगी। प्रार्थीगण तमाम के मकानात अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी कृषि भूमि में नहीं बने होने से प्रार्थीगण को किसी भी रूप में अपूर्णिय क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। यह लिखना भी गलत हैं कि प्रार्थीगण के मकानात जहां बने हुए है वहां पूर्व से ही आबादी भूमि थी। इस प्रकार प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 01 को परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र दुर्नियति पूर्वक अविधिक तरीके से अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी कृषि जोत की भूमि के कुछ रकबे को हड़पने की नियत से प्रस्तुत किया है जिसमे प्रार्थीगण को किसी भी रूप में कानूनन दृष्टिकोण से सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है। जब राजस्व रेकर्ड में किसी भी रूप में कोई भी तरमीम गलत नहीं हुई तो उसे दुरस्त किये जाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का यह लिखना गलत है कि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का रकबा गत खसरा नंबर 581/1 रकबा 29 बीघा 10 बिस्वा के अनुसार नये बने खसरा नंबर 1294 का रकबा 4.7000 हैक्टर के स्थान पर 4.7800 हैक्टर किया जाना कानूनन आवश्यक है एवं पूर्व में गत सैटलमेन्ट के नक्शा के अनुसार पुनः तरमीम आबादी सीमा के अनुसार किया जाना कानूनन आवश्यक है। प्रार्थीगण का उपरोक्त प्रार्थना पत्र बाबत तरमीम शुद्धि का किसी भी रूप में चलने योग्य नहीं होने से और पूर्व में राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति के अनुसार सही होने से व प्रार्थीगण तमाम के द्वारा केवल अप्रार्थी संख्या 01 को हैरान परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश करने से उपरोक्त प्रार्थना पत्र कानूनन दृष्टिकोण से खारिज योग्य होने से खारिज किया जावें। अप्रार्थी सं0 02 ने जवाब प्रा0पत्र पेश कर पैरा सं0 01 में वर्णित भूमि रायरा कलां खुर्द में स्थित होना,

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

पैरा सं0 02 से 03 में वर्णित तथ्य वादी स्वयं साबित करना तथा पैरा सं0 04 से 07 में वर्णित तथ्य कानूनी होना अंकित किया।

प्रकरण में वादग्रस्थ भूमि के मौका एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति तहसीलदार सोजत को लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा रायरा कलां में ख0नं0 459 रकबा 0.65 है0 किस्म बा0अ0 में मोटाराम पुत्र धनाराम कौम गुर्जर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा ख0नं0 1259 रकबा 0.80 है0 किस्म बा0अ0 में सुमन कंवर पत्नि रविन्द्रसिंह वगैरा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। खसरा नंबर 459 खसरा मिलान अनुसार गत खसरा नंबर 187 रकबा 3 बीघा से बना है, खसरा नंबर 459 का वर्तमान रकबा 0.65 है0, गत रकबा 3 बीघा से 0.17 है0 रकबा ज्यादा हैं। खसरा नंबर 1259 गत खसरा नंबर 549 से बना है, जो वादग्रस्त खसरा नंबर 459 से बहुत दूर स्थित हैं। खसरा नंबर 459 के वर्तमान नक्शे एवं गत नक्शे को सुपर इम्पोज किया गया खसरा नंबर 459 में सेटलमेंट पूर्व चौसाले से 3 बीघा से वर्तमान जमाबंदी में 0.65 है0 भूमि, गत रकबे से 0.17 है0 भूमि की बेसी पाई गई। ख0नं0 459 में बेसी रकबा 0.17 है0 भूमि के खसरे 1294 रकबा 4.76 है0 गत खसरा नंबर रकबा 581/1 रकबा 29 बीघा 9 बिस्वा से कमी करके जोड़ा गया हैं। खसरा नंबर 459 में वर्तमान नक्शे में मौके पर आबादी के मकान बने हुए हैं। खसरा नंबर 459 से बेसी रकबा 0.17 है0 पुनः कम करके आबादी खसरे नंबर 1294 में जोड़ा जाना उचित हैं, की रिपोर्ट पेश की हैं।

बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि ख0नं0 459 के पड़ौस में ख0नं0 1294 रकबा 4.7000 है0 ग्राम पंचायत रायरा कलां की आबादी भूमि आई हुई स्थित हैं। खसरा नंबर 459 गत सेटलमेन्ट के खसरा नंबर 187 से बना है। गत खसरा नंबर 187 रकबा 03 बीघा कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के पिता धना पुत्र अनोप जाति गुर्जर के नाम की खातेदारी कब्जा काश्त की थी। उक्त कृषि भूमि से वर्तमान खसरा नंबर 459 बनाते समय सेटलमेन्ट अधिकारीयों ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाते हुए रकबा 0.4800 हैक्टर के स्थान पर रकबा 0.6500 हैक्टर दर्ज कर दिया गया तथा ग्राम पंचायत की भूमि आबादी भूमि खसरा नंबर 1294 के गत खसरा संख्या 581/1 है। गत खसरा नंबर 581/1 का रकबा 29 बीघा 10 बीस्वा आबादी भूमि थी। उक्त भूमि को कम दर्ज करते हुए खसरा नंबर 1294 का रकबा 4.7800 के स्थान पर 4.7000 हैक्टर दर्ज कर दिया गया, जो गलत दर्ज हुआ। गत सेटलमेन्ट के खसरा नंबर 187 की सीमा व गत सेटलमेन्ट के खसरा नंबर 581/1 की सीमा गत नक्शे के देखने से स्पष्ट है कि दोनो खसरो के बीच की माठ सीधी थी, जो वर्तमान नक्शा बनाते समय आबादी भूमि को सम्मिलित लेते हुए तरमीम कर दी गई, जो गलत तरमीम हुई है। जिसे दुरूस्त करने के लिए अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

पेश कर सरहद मौजा रायरा कलां के खसरा नंबर 459 रकबा 0.6500 हैक्टर में से रकबा 0.0800 हैक्टर भूमि को कम करते हुए खसरा नंबर 1294 रकबा 4.7000 हैक्टर में जोडा जाकर रकबा 4.7800 हैक्टर दर्ज किया जावे एवं राजस्व रेकर्ड नक्शा में गत सेटलमेन्ट के नक्शे के अनुसार वर्तमान खसरा नंबर 459 व 1294 के बीच स्थित सीमा माठ की तरमीम दुरस्त किये जाने के आदेश पारित फरमाये जाने की ईश्तदुआ की है।

जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 ने प्रार्थीगण के कथनों का खण्डन करते हुए व्यक्त किया कि यह कहना गलत है कि सैटलमेन्ट के दौरान खसरा नंबर 187 से नये खसरा नंबर 459 बनाते समय आबादी भूमि का रकबा कम करते हुए अप्रार्थी संख्या 01 के खसंरा संख्या 459 में रकबा बढ़ा देने से तरमीम गलत हुई तथा खसरा नंबर 459 की तरमीम आबादी भूमि में कर दी गयी। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि प्रार्थीगण की तमाम की नियत अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि जोत की भूमि में कब्जा कर मौके पर निर्माण कार्य करने की रही है, जिस कुचौष्टा को पूरा करते हुए झूठा कपोल कल्पित यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो काबिले खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया

जबाब बहस में अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस उभय पक्षकारान पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम रायराकलां खुर्द के खसरा मिलान में वर्तमान खसरा नंबर 459 रकबा 0.65 है0 तथा उसके गत खसरा नंबर 187 रकबा 3 बीघा दर्जसुदा हैं। इसी प्रकार वर्तमान खसरा नंबर 1294 रकबा 4.70 है0 किस्म गै0मु0 आबादी के गत खसरा नंबर 581/1 आबादी दर्जसुदा हैं। खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2010–2019 में खसरा नंबर 581/1 का रकबा 29 बीघा 10 बिस्वा दर्जसुदा हैं। जिससे यह साबित होता है कि गत सेटलमेंट के दौरान वर्तमान खसरा नंबर 459 बनाते समय रकबा 0.4800 हैक्टर के स्थान पर रकबा 0.6500 हैक्टर दर्ज कर दिया गया तथा आबादी भूमि के खसरा नंबर 1294 के गत खसरा संख्या 581/1 का रकबा 29 बीघा 10 बीस्वा को कम दर्ज करते हुए खसरा नंबर 1294 का रकबा 4.7800 के स्थान पर 4.7000 हैक्टर दर्ज कर दिया गया। गत सेटलमेंट के पूर्व व पश्चात् के नक्शे का अवलोकन करने यह स्पष्ट होता है कि पूर्व में पुराने खसरा नंबर 187 व 581/1 के बीच की मांठ जो सीधी थी, उसे सेटलमेंट के पश्चात् बने नक्शे में वर्तमान खसरा नंबर 459 व 1294 के बीच की मांठ में भी परिवर्तन कर दिया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी इन तथ्यों की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

का प्रा0पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा रायरा कलां के खसरा नंबर 459 रकबा 0.6500 हैक्टर में से रकबा 0.0800 हैक्टर भूमि को कम करते हुए खसरा नंबर 1294 रकबा 4.7000 हैक्टर में जोड़ा जाकर रकबा 4.7800 हैक्टर दर्ज किया जावे एवं राजस्व रेकर्ड नक्शा में गत सेटलमेन्ट के नक्शे के अनुसार वर्तमान खसरा नंबर 459 व 1294 के बीच स्थित सीमा माठ की तरमीम दुरस्त किया जाना उचित हैं।

—: आदेश:—

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 133, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा रायरा कलां के खसरा नंबर 459 रकबा 0.6500 हैक्टर में से रकबा 0.0800 हैक्टर भूमि को कम करते हुए खसरा नंबर 1294 रकबा 4.7000 हैक्टर में जोड़ा जाकर रकबा 4.7800 हैक्टर दर्ज किया जावे एवं राजस्व रेकर्ड नक्शा में गत सेटलमेन्ट के नक्शे के अनुसार वर्तमान खसरा नंबर 459 व 1294 के बीच स्थित सीमा माठ की तरमीम दुरस्त कर शुद्धि किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाता है। मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति एवं मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

उप खण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 16/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)